



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 20 जनवरी, 2025

"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 45,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त परवेज पुत्र हासिम निवासी ग्राम मैना कलन्दरगढी थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में थाना खुर्जा नगर क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 02.12.2023 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं- 1060/2023 धारा 452,376(2)एल(3) भादवि व 3/4(2) व 5के/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 09.01.2024 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 20.01.2025 को न्यायाधीश श्री तरुण कुमार सिंह (मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त परवेज को 20 वर्ष का कारावास व 45,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील कुमार, श्री वरुण कोशिक व आशूतोष का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर ।